फैक्स

सेवा में:– होम कन्ट्रोल/डीजीपी कन्ट्रोल, लखनऊ/इण्ट कन्ट्रोल/अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था/अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ.प्र.लखनऊ/अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन, मेरठ/आयुक्त सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर/पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर।

प्रेषक :– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।

पत्र संख्या:– एस0एम0सी0–सरा0कार्य/2022 दिनॉक: अगस्त 14, 2022

:: सराहनीय कार्य ::

जनपद मुजफ्फरनगर में थाना बुढाना पुलिस द्वारा दौराने पुलिस कार्यवाही 02 गौतस्कर अभियुक्त घायल/गिरफ्तार, कब्जे से 01 मस्कट मय 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 तंमचा मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 12 बोर, लगभग 01 कुन्तल 20 किलोग्राम गौंमास व गौकशी के उपकरण बरामद।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद मुजफ्फरनगर में गौतस्कर अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतू चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत व पुलिस अधीक्षक देहात व क्षेत्राधिकारी बुढाना के कुशल पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक श्री रवेन्द्र सिंह यादव थाना बुढाना के कुशल नेतृत्व में दिनाक 13.08.2022 की रात्रि को थाना बुढाना पर नियुक्त उ0नि0 संजय कुमार यादव मय उ0नि0 श्री मोहित कुमार, उ0नि0 श्री अनिल कुमार ,है0का0 405 राजेन्द्र सिह, है0का0 451 महेन्द्र बाबू, का0 300 प्रेमचन्द शर्मा, का0 543 विनय कुमार, का0 292 बलजीत सिह, का0 1435 कृष्णवीर, का0 408 अंकित कुमार , का0 1034 तेजेन्द्र धामा, का0 2093 राजीव अत्री,का0 352 अनुज कुमार मय प्राइवेट एवं सरकारी गाडी नम्बर यूपी 12 एजी 0572 मय चालक का0 1710 रोहताश शर्मा के थाना बुढाना से वास्ते गस्त व चेकिंग संदिग्ध वाहन व व्यक्ति में मामूर होकर ग्राम भसाना पहुचे तो मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि ग्राम दभेडी मे टोडा वाले रास्ते से सैय्यदा की डैरी वाले रास्ते से ग्राम दभेडी के कुछ व्यक्ति जंगल से गौकशी करके वापस आने वाले है जल्दी की जाए तो पकडे जा सकते है उक्त सूचना पर विश्वास करके थाना बुढाना पुलिस मुखबिर को साथ लेकर मुखबिर के बताये स्थान के पास पहुंची तो मुखबिर ने जंगल के तिराहे पर टांसफार्मर के पास ईख के खेत मे रुककर गौकशो के आने का इंतजार करने को कहा तभी कुछ समय पश्चात चकरोड पर जंगल की ओर से कुछ व्यक्तियो के आने की आहट सुनाई दी, उक्त व्यक्तियो के पास आने पर व चांद की रोशनी में पांच व्यक्ति सिर पर प्लास्टिक के कटे व हाथो मे हथियार लेते आते दिखाई दिये जिन्हे देखकर मुखबिर ने बताया कि साहब यही वे व्यक्ति है जो जंगल मे गौंकशी करकर इन कट्टो मे गौमांस ला रहे है तथा मुखबिर जंगल की ओर चला गया उक्त व्यक्तियो के करीब आने पर टार्च की रोशनी डालते हुए टोका और रुकने को कहा कि हम पुलिस वाले है तो अचानक ये व्यक्ति हम पुलिस वालो को देखकर अपने अपने सिर पर रखे प्लास्टिक के कटो को जमीन पर फेककर भागने लगे। जिनका पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया। उक्त व्यक्तियों ने पुलिस टीम द्वारा अपने– आप को धिरा समझकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया जिससे पुलिस टीम बाल–बाल बची। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ सूक्ष्म फायरिंग की गयी। कुछ देर बाद बदमाशों की तरफ से फायरिंग बन्द हो गयी। पुलिस टीम द्वारा सिखलाये हुए तरीके से आगे बढकर देखा तो 02 बदमाश ईख के खेत के पास चकरोड के पास पडे हैं जिनको पुलिस टीम द्वारा हिरासत में लिया गया तथा 03 अन्य साथी ईख के खेत का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पकडे गये बदमाशों को प्राथमिक उपचार देकर नाम व पता पूछा तो उन्होने अपना नाम कृमशः **1. लुकमान पुत्र गय्यूर निवासी ग्राम रसूलपुर दभेडी थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर 2. आबिद पुत्र जाहिद निवासी ग्राम रसूलपुर दभेडी थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर** तथा भागे हुए साथियों के नाम **1. काला पुत्र इलयास 2. जावेद पुत्र गुल्फाम 3. उस्मान पुत्र यामीन निवासीगण ग्राम रसूलपुर दभेडी थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर** बताया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 मस्कट मय 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 तंमचा मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 12 बोर, लगभग 01 कुन्तल 20 किलोग्राम गौंमास व 04 पैर,खुर,खाल सहित व गौकशी के उपकरण 02 छुरी, 01 दाव, 01 लकडी का गुटका व 01 फावडा बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बुढाना पर मु0अ0सं0– 299/22 धारा– 307 भादवि, मु0अ0सं0– 300/22 धारा–3/5क/8 गौवध अधिनियम बनाम 1. लुकमान 2. आबिद 3. काला 4.जावेद 5. उस्मान उपरोक्त, मु0अ0सं0– 301/22 धारा–3/25/27 आयुध अधिनियम बनाम लुकमान, मु0अ0सं0– 302/22 धारा–3/25/27 आयुध अधिनियम बनाम आबिद उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोगों की विवेचना उ0नि0 श्री संजय सिंह द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः–

1. लुकमान पुत्र गय्यूर निवासी ग्राम रसूलपुर दभेडी थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।
2. आबिद पुत्र जाहिद निवासी ग्राम रसूलपुर दभेडी थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

फरार अभियुक्तगण का नाम व पताः–

1. काला पुत्र इलयास निवासी ग्राम रसूलपुर दभेडी थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।
2. जावेद पुत्र गुल्फाम निवासी ग्राम रसूलपुर दभेडी थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।
3. उस्मान पुत्र यामीन निवासी ग्राम रसूलपुर दभेडी थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरणः–

- 01 मस्कट मय 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
- 01 तंमचा मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 12 बोर।
- लगभग 01 कुन्तल 20 किलोग्राम गौंमास व 04 पैर,खुर,खाल
- गौकशी के उपकरण 02 छुरी, 01 दाव, 01 लकडी का गुटका व 01 फावडा ।

गिरफ्तार करने वाली टीम :–

- उ0नि0 संजय कुमार यादव थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।
- उ0नि0 श्री मोहित कुमार थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।
- उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।
- है0का0 405 राजेन्द्र सिह थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।
- है0का0 451 महेन्द्र बाबू थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।
- का0 300 प्रेमचन्द शर्मा थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।
- का0 543 विनय कुमार थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।
- का0 292 बलजीत सिह थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।
- का0 1435 कृष्णवीर थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।
- का0 408 अंकित कुमार थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।
- का0 1034 तेजेन्द्र धामा थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।
- का0 2093 राजीव अत्री थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।
- का0 352 अनुज कुमार थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।
- चालक का0 1710 रोहताश शर्मा थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

नोटः– **गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के गौकश प्रवृत्ति के अपराधी हैं। अभियुक्तगण द्वारा घटना किये जाने का जुर्म इकबाल किया गया है। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।**

आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित है ।

वरिष्ठ पलिस अधीक्षक
मुजफ्फरनगर।